

न्यायालय न्याय निणयन आधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

50/2024 प्रा.पत्र/2024

29.07.2024

16.01.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,
टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा निवासी ग्रा0पो0 राजपुरा तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सरस्वती किराणा स्टोर अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304502 मोबाईल नं. 7014516168।
- 2-मैसर्स सरस्वती किराणा स्टोर अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304502
- 3- श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन निवासी जैन मन्दिर के पीछे रेती मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार सुभाष सर्किल के पास मालपुरा जिला टोंक राज0 पिनकोड-304502
- 4-मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार सुभाष सर्किल के पास मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड-304502

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-


- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थीगण की ओर से श्री गिरर्राज शर्मा उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 16/1/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.03.2024 को समय 01:45 पी.एम. पर मैसर्स सरस्वती किराणा स्टोर अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स सरस्वती किराणा स्टोर अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गिरिराज शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल घी, मसाले के साथ-साथ दुकान की रेंक में लम्बे 30 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1-1 लीटर पैक मूंगफली तेल (निवाई



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक


स्वास्तिक ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री गिरिराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह दुकान में रखे लगभग 30 मूल पैक पैकड अवस्था में मूंगफली तेल (निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर ए-11 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी 2024 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, ज्यों का त्यों पैकड अवस्था में 1-1 लीटर पैक के 4 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मूंगफली तेल (निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड) 1-1 लीटर पैक के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3967 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3967 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता गिरिराज शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा मैसर्स सरस्वती किराणा स्टोर अजमेर रोड मालपुरा जिला टॉक ने बतौर वारन्टी मैसर्स अनिल कुमार अशोक कुमार सुभाष सर्किल के पास मालपुरा जिला टॉक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य प्रदार्थ क्य करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक, के मुद्रा क्रमांक एफएसएसए/2024/417 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य



मानिरेकत जिला मजिस्ट्रेट
केव

विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/911/एक्ट/2024/1110 दिनांक 28.03.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया मूंगफली तेल (निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री गिरराज शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त तेल निर्माता फर्म से क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया जा रहा था। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस मूंगफली तेल (निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मूंगफली तेल (निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आंच दिनांक 16/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन साकरिया)
न्यायनिसिर्षयकेल्लभिसरस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0